बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0स्वा0–5/स्था0–20–39/2011– 1433(5) स्वा0, पटना, दिनांक:– 4/12/ 2012 ।

आदेश

विभागीय आदेश संख्या–1190(5) दिनांक–12/12/2000 द्वारा स्वास्थ्य विभाग की कुल 18(अठारह) प्रशाखाओं के विषयवार कार्य विभाजन आदेश में वर्तमान प्रशाखा–9 को दवा क्रय/मशीन उपकरण क्रय/ दवाओं की अनियमित क्रय की जांच/विभागीय आरोप आदि से संबंधित कार्य दायित्व का आवंटन किया गया था।

2 वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग/ बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग/ बिहार आयुष सेवा संवर्ग/ बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग/ बिहार आशुलिपिक सेवा संवर्ग सहित सभी कोटि के राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मियों (क्षेत्रीय अराजपत्रित कर्मियों को छोड़कर) के विरूद्ध आरोपों/ विभागीय कार्यवाही/ शास्ति संसूचन आदि को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के लिए एक केन्द्रीकृत व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

3 उपरोक्त आलोक में वर्तमान प्रशाखा–9 को **"आंतरिक निगरानी शाखा"** के रूप में चिन्हित करते हुए इसे कंडिका–2 में अंकित विभिन्न सेवा संवर्गों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आरोपों/परिवाद पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाई हेतु अधिकृत किया जाता है।

4 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 एवं समय–समय पर विभागीय कार्यवाही से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाओं/संकल्पों/ परिपत्रों के तहत नियमानुसार आरोप का गठन/ विभागीय कार्यवाही संचालन आदेश का संसूचन/ निलंबन/ विभागीय कार्यवाही का परिचालन आदि का कार्य सेवा संवर्ग से संबंधित प्रशाखा द्वारा किया जायेगा, किन्तु अधिगम प्राप्ति के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाईयां यथा– अधिगम की समीक्षा एवं मंतव्य का गठन/ लघु अथवा वृहद शास्ति का संसूचन/ द्वितीय कारण पृच्छा/ अपील आदि से संबंधित समस्त कार्रवाईयां प्रशाखा–9 का क्षेत्राधिकार होगा। प्रशाखा–9 को स्वास्थ्य विभाग की गोपनीय शाखा के रूप में भी चिन्हित किया जाता है और भविष्य में निगरानी विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेश/ भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार सभी आवश्यक कार्रवाईयां प्रशाखा–9 के द्वारा ही की जायेंगी।

3 प्रस्ताव में प्रधान सचिव, एवं विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

4.12.12
(शंकर झा)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:– 1433(5) /स्वा0, पटना, दिनांक:– 4/12/12

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव (प0क0)/ स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/ सिविल सर्जन एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.12.12
सरकार के अपर सचिव।